सूचना का अधिकार मामला / समयबद्ध

भारत सरकार

विदेश मंत्रालय

नई दिल्ली

सं. ई/551/1/2019-आरटीआई

14 जनवरी 2018

विषयः सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत माँगी गई सूचना

महोदय,

कृपया अपने आरटीआई आवेदन दिनाक 30 दिसम्बर 2018 का संदर्भ लें, जिसे डॉ अमित तेलंग, निदेशक(पूर्व एशिया) , विदेश मंत्रालय, नई दिल्ली को स्थानांतरित किया गया था।

2. आपके द्वारा मांगी गई जानकारी वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय से अधिक निकटता से संबंधित है। अतः आपके आरटीआई आवेदन को आवश्यक कार्रवाई के लिए वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय को स्थानांतरित किया जा रहा है।

3. यदि आप इस उत्तर से संतुष्ट नहीं है, तो आप इस पत्र की प्राप्ति की तिथि से एक माह के भीतर डॉ अमित तेलंग, निदेशक (पूर्व एशिया) एवं अपीलीय प्राधिकारी, विदेश मंत्रालय, साउथ ब्लाक, नई दिल्ली - 110011 को अपील दायर कर सकते हैं।

भवदीय,

प्रसन्न श्रीवास्तव

(प्रसन्न श्रीवास्तव)

उप सचिव (चीन), एवं केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी

प्रतिलिपि प्रेषितः

1. श्रीमती कामना एस दीक्षित, अवर सचिव, वाणिज्य विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, उद्योग भवन, नई दिल्ली।
2. श्रीमती दीपा जैन, अवर सचिव (आरटीआई), विदेश मंत्रालय, नई दिल्ली।

92/D/n (EA)/19
08/01/19

ज्ञापन

सेवा में,

डॉ0 अमित तेलंग

निदेशक (पूर्व एशिया) एवं अपीलीय प्राधिकारी

विदेश मंत्रालय, साउथ ब्लाक

नई दिल्ली - 110011,

द्वारा:- जिलाधिकारी, शाहजहाँपुर।

उचित कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
[signature]
निदेशक (चीन)

विषय :-

अपील प्रार्थना पत्र वास्ते जन हेतु समस्या का समाधान हेतु।

महोदय,

निवेदन है कि भारत में पूरे देश में चाईनीज मांजा जोकि काफी खतरनाक होता है जिससे कई लोगो की जाने जा चुकी है। तथा जिस कारण लोग काफी मात्रा में घायल भी हो चुके है। इसलिये उपरोक्त चाईनीज मांजा पर रोक भारत मे लगायी जावें तथा उपरोक्त समस्या के समाधान हेतु मुझे भी 15 दिनके अन्दर अवगत कराया जावें।

अतः आपसे प्रार्थना है कि उपरोक्त प्रकरण पर जल्द से जल्द कार्यवाही करने एवं प्रार्थी को भोजन सूचना अधिकार अधि0 2005 के तहत सूचना दिलवायी जावे।

आपकी महान कृपा होगी।

दिनांक :- 22.12.2018

समर्थनकर्ता :-

1. अमित कुमार गुप्ता
मो0 खातागंज0, भा0 जी0 बीमा
एजेन्ट ,
2. डॉ0 अमित गंगवारमो0 टोरवो
3. अनुज कुमार कश्यप मो0 नई बस्ती तिलहर
4. प्रमोद कुमार यादव, जिला पं0 सदस्य, मो0 पंजाबी कालोनी तिलहर

सूचना का अधिकार मामला / समयबद्ध

भारत सरकार

विदेश मंत्रालय

नई दिल्ली

सं. ई/551/ 1 /2018-आरटीआई

12 दिसम्बर 2018

विषयः सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत माँगी गई सूचना

महोदय,

कृपया अपने आरटीआई आवेदन दिनाक 30 नवम्बर. 2018 का अवलोकन करें जिसे आरटीआई प्रकोष्ठ, विदेश मंत्रालय, नई दिल्ली को स्थानांतरित किया गया, तथा जिसे इस विभाग को 30 नवम्बर 2018 को बिंदु संख्या 4 के संदर्भ में स्थानांतरित किया गया था।

2. आपके द्वारा बिंदु संख्या 4 पर मांगी गई जानकारी चीन के संदर्भ में निमानानुसार है:

भारत और चीन के बीच सीमा क्षेत्रों मे सामान्य तौर पर निर्धारित कोई वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) नहीं है। समय-समय पर एलएसी की धारणा में भिन्नता के कारण ऐसी स्थितियां उत्पन्न हुई है जिनसे बचा जा सकता था यदि हमारे वास्तलविक नियंत्रण रेखा को लेकर एक जैसी धारणा होती।

सरकार एलएसी के किसी भी प्रकार के उल्लंघन के मामले को चीनी पक्ष के साथ सीमा कार्मिकों की बैठकों, फ्लैग बैठकों, भारत-चीन सीमा मामलों पर परामर्श एवं सहयोग के लिए कार्यतंत्र की बैठकों जैसे स्थापित तंत्रों और राजनयिक चैनलों के माध्यम से नियमित रूप से उठाती रहती है।

सरकार का हमेशा से यह मत रहा है कि भारत-चीन सीमा क्षेत्रों में शांति और अमन द्विपक्षीय संबंधों के विकास की एक महत्वपूर्ण पूर्वापेक्षा है।

3. यदि आप इस उत्तर से संतुष्ट नहीं है, तो आप इस पत्र की प्राप्ति की तिथि से एक माह के भीतर डॉ अमित तेलंग, निदेशक (पूर्व एशिया) एवं अपीलीय प्राधिकारी, विदेश मंत्रालय, साउथ ब्लाक, नई दिल्ली - 110011 को अपील दायर कर सकते हैं।

भवदीय,

प्रसन्न श्रीवास्तव

(प्रसन्न श्रीवास्तव)

उप सचिव (चीन), एवं केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी

प्रतिलिपि प्रेषितः

1. श्रीमती दीपा जैन, अवर सचिव (आरटीआई), विदेश मंत्रालय, नई दिल्ली